8/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.
तहसील से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं
आख्या मौका रिपोर्ट हेतु
पत्रावली दिनांक 22/8/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अराई

22/8/25 - पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली अनु०। तीन बार हल्ला-हल्ला से आवाजें लगवाई गई किन्तु प्रतिवादीगण अनु० रहे। अतः प्रतिवादीगण 1 लगायत 05 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील वादी की बहस सुनी गई। तहसील से प्राप्त मौका जाँच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई) अजमेर(

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

वाद क्रमांक 61/2024

1 राधामोहन पुत्र श्रीवक्ष जाति जाट, आयु 63 वर्ष
2 सरदार पुत्र नानूराम जाति जाट, आयु 23 वर्ष
3 हनुमान पुत्र गोपाल जाति जाट. आयु 27 वर्ष
4. सुमेर पुत्र रामलाल जाति जाट, आयु 25 वर्ष
5.गोपाल पुत्र रामकिशन जाति जाट, आयु 55 वर्ष 5
6.चांदू पत्नी रामकिशन जाति जाट, आयु 75 वर्ष 6
7.तेजु पुत्र रामकिशन जाति जाट, आयु 50 वर्ष 7.
8.नानूराम पुत्र रामकिशन जाति जाट, आयु 48 वर्ष 8.
9.मेवा पुत्र रामकिशन जाति जाट, आयु 45 वर्ष 9.
10. श्योजी पुत्र रामकिशन जाति जाट, आयु 52 वर्ष
सर्व निवासीगण ग्राम गागून्दा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

–प्रार्थीगण

बनाम

1. जीतराम चौधरी पुत्र श्योजीराम जाति जाट, बालिग
2. नन्दू पुत्री श्योजीराम जाति जाट बालिग
3. विश्राम चौधरी पुत्र श्योजीराम जाति जाट, बालिग
4. सूरता पत्नी श्योजीराम जाति जाट, बालिग
5. सरोज पुत्री श्योज़ीराम जाति जाट, बालिग

सर्व निवासीगण ग्राम गागुन्दा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थानं राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

—— अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 22/08/2025

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री रामेश्वरलाल चोधरी

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री रामेश्वरलाल चोधरी के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जरिये अभिभाषक निवेदन किया किया कि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के स्वत्व अधिकार, कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 485 रकबा 3.4960 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 484 रकबा 0.0240 हैक्टेयर किस्म गै.मु. चाह राजस्व ग्राम गागुन्दा पटवार हल्का गागुन्दा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भोगादीत तहसील अराई जिला अजमेर में अवस्थित हैं। उक्त सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण के नाम अधिकार अभिलेख में वर्णित हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा संख्या 485 व 484 के उत्तर दिशा में निजी खातेदार काश्तकार अर्थात अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी की कृषि भूमि है। उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की निजी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 476 रकबा 1.3600 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी संख्या 6 की सरकारी भूमि खसरा संख्या 930/475 रकबा 2.5090 हैक्टेयर है। रिकोर्डेड डामरीकरण सडक खसरा संख्या 474 जो गागुन्दा–गोली जाने वाली से होकर उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी की भूमि के पूर्व दिशा की सींव मेड़ के सहारे होकर अप्रार्थी संख्या 6 की सरकारी भूमि खसरा संख्या 930/475 में से होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में पहुंच हेतु निकटतम सरलतम, लघुतम रास्ता उपलब्ध होना आवश्यक है जो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की कृषि भूमि खसरा संख्या 476 पूर्व दिशा की सीमा सींव मेड़ से होते हुए खसरा संख्या 930/475 सरकारी भूमि के बीच में से होकर रिकोर्डेड डामरीकरण सड़क खसरा संख्या 474 को जोड़ता है। उक्त चाहा गया रास्ता है जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल होना आवश्यक है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 484 व 485 के उत्तर दिशा में लगती हुई अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 476 एवं अप्रार्थी संख्या 6 की सरकारी भूमि खसरा संख्या

930/475 है उसके आगे रिकोर्डर्ड डामरीकरण सड़क खसरा संख्या 474 है प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त खातेदारी की कृषि भूमि तक पहुंच के लिए गै.मु. रास्ता खसरा संख्या 474 से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 6 की सरकारी भूमि खसरा संख्या 930/475 के बीच में से होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 476 की पूर्व दिशा की सींव मेड, डोल के सहारे सहारे होकर में से 15 फीट चौडा रास्ता मुख्य रिकोर्डेड रास्ता खसरा संख्या 474 तक चाहते है। मुख्य रास्ता खसरा संख्या 474 गै. मु. रास्ते की नक्शा ट्रेस में तरमीम हो रखी है तथा मौके पर गागुन्दा–गोली जाने वाली पक्की डामरीकरण सड़क के रूप में उपयोग उपभोग में चली आ रही है अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की उक्त खातेदारी की भूमि की सींव मेड़ से लगता हुआ अप्रार्थी संख्या 6 सरकारी भूमि के बीच में से उक्त रास्ता प्राप्त होने पर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में रिकोर्डेड रास्ता से होते हुए अपने खेतों आने जाने हेतु सुगम, सुलभ, सरलतम, लघुतम, निकटतम रास्ता होगा। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 484, 485 में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 476 की पूर्व दिशा की मेड़ सींव में से होते हुए अप्रार्थी संख्या 6 की सरकारी भूमि खसरा संख्या 930/475 के बीच में से चाहे गये रास्ते को इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित किया गया है। नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र का एक अंग व भाग माना जाकर इसके साथ पढ़ा जावे। यह कि प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 3 व 4 में वर्णित चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 484ए 485 484, 485 में पहुंच के लिए अन्य कोई मार्ग/रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान औद्योगिक युग में कृषि उपकरणों को लाने ले जाने हेतु कम से कम 15 फीट चौडा रास्ता होना आवश्यक है। प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर पहुंच के लिए रिकोर्डेड रास्ता होना विधि अनुसार आवश्यक माना गया है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पैरा संख्या **3** व **4** में वर्णित रास्ते को आम सहमति करार द्वारा कायम करने हेतु अप्रार्थीगण से मौखिक रूप से निवेदन किया था किन्तु वह उक्त निवेदन, सहमति से रास्ता कायम करवाने हेतु मना कर दिया। इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। गांवाई प्रथा अनुसार खेत की सींव–सींव, मेड़–मेड काश्तकार आते जाते हैं एवं यह प्रथा आदि–अनादि काल से चलती–चलाती आ रही है। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी पूर्वज भी इसी अनुक्रम में उपरोक्त प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 3 व 4 में वर्णित अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की भूमि की सींव मेड़ के सहारे सहारे अप्रार्थी संख्या 6 की सरकारी भूमि के बीच में होकर प्रार्थीगण स्वयं की खसरा संख्या 484, 485 में आते–जाते रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने, कृषि यन्त्र, ट्रेक्टर, ट्रोली आदि को लाने व ले जाने में रूकावट, व्यवधान उत्पन्न कर देते है जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में समय पर फसल बिजाई नहीं कर पाते है तथा फसल की कटाई कर अपने घर पर नहीं ले जा पाते है जिससे कई बार तो प्रार्थीगण की फसल खराब हो जाती है जिसके कारण प्रार्थीगण को काफी भारी आर्थिक नुकसान होता है।प्रार्थीगण की कृषि भूमि की जौत, सिंचाई के प्रयोजन के लिये सबसे करीब रास्ता अप्रार्थीगण की खसरा संख्या 1974 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा. खसरा संख्या 1981 रकबा 4 बिस्वा व खसरा संख्या 1982 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा की भूमि में से सींव, मेड के सहारे जिसे राजस्व नक्शा ट्रैस मे लाल स्याही से दर्शित किया गया है सबसे करीब रास्ता है जो अप्रार्थीगण की भूमि मे से होकर जाता है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि मे से होकर उक्त मार्ग बनाना चाहते है प्रार्थीगण की भूमि में जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। प्रार्थीगण राजस्व नक्शा ट्रैस मे दर्शित लाल स्याही से दर्शित मार्ग से ही अपने खातेदारी के खेत मे आते जाते है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में स्थित जोतो के उपयोग उपभोग के लिये व कृषि भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1974 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा. खसरा संख्या 1981 रकबा 4 बिस्वा व खसरा संख्या 1982 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा की भूमि में से 18 फीट का चोडा रास्ता दिलवाये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को दिनांक 20.9.2024 को विधिवत नोटिस तामिल हुये। दिनांक 13.8.2025 को तहसीलदार अराई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार अराई ने अंकित किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 485 रकबा 3.4960 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 484 रकबा 0.0240 हैक्टेयर किस्म गै.मु.चाह राजस्व ग्राम गागुन्दा पटवार हल्का गागुन्दा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भोगादीत तहसील अराई जिला अजमेर में में आवागमन के लिये खसरा संख्या 476 व 930/475 में से

होकर कोई अतिरक्त निकटतम व वैकल्पिक मार्ग नही है । खसरा नं0 476 में 0.0438 हैक्टेयर डीएलसी दर से राशि 12921/– रूपये तथा खसरा नं0 930/475 मे 0.676 हैक्टेयर डीएलसी दर से राशि 19942/– भूमि में से रकबा 0.7198 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जायेगी जिसकी निर्वापित राशि वर्तमान प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्य 32863 जिसकी दुगुना राशि 65726/– अक्षरे पेसठ हजार सात सो छब्बीस रूपये होगी । वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली अप्रार्थी की भूमि के रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने में सहमत, तैयार, तत्पर है ।

हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है अतः तहसीलदार अराई की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें हैः–

–: आदेश :–

1. प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी की भूमि में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये रास्ते की अतिआवश्कता है, प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 485 रकबा 3.4960 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 484 रकबा 0.0240 हैक्टेयर किस्म गै.मु.चाह राजस्व ग्राम गागुन्दा पटवार हल्का गागुन्दा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भोगादीत तहसील अराई जिला अजमेर में में आवागमन के लिये में आवागमन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी मानचित्र अनुसार एवं पेरोकार सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि कृषि भूमि खसरा संख्या 485 रकबा 3.4960 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 484 रकबा 0.0240 हैक्टेयर किस्म गै.मु.चाह राजस्व ग्राम गागुन्दा पटवार हल्का गागुन्दा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भोगादीत तहसील अराई जिला अजमेर में भूमि में आवागमन ख0नं0 476,930/475 से होना स्पष्ट होता है एवं उक्त रास्ता निकटतम रास्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी की रास्ते हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की एवज में रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने हेतु सहमति जाहिर की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 485 रकबा 3.4960 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 484 रकबा 0.0240 हैक्टेयर किस्म गै.मु.चाह राजस्व ग्राम गागुन्दा पटवार हल्का गागुन्दा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भोगादीत तहसील अराई जिला अजमेर में में आवागमन के लिये में से रास्ते हेतु रिपोर्ट क्रमांक 4869 दिनांक 13.8.2025 के अनुसार प्रार्थी की कृषि भूमि तक पहुचने हेतु रास्ते हेतु अधिग्रहित की जाने वाली 18 फीट भूमि का ब्यौरा :–

खसरा नं0 476 में 0.0438 हैक्ट0 डीएलसी दर से राशि 12921/–

खसरा नं0 930/475 में 0.676 हैक्ट0 डीएलसी दर से राशि 19942/–

तहसीलदार अराई कीजांच रिपोर्ट में 18 फीट चोडे रास्ते के अनुसार भूमि अधिग्रहित की जाकर वाद अधीन भूमि की प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्य 32863 जिसकी दुगुना राशि 65726/– अक्षरे पेसठ हजार सात सो छब्बीस रूपये होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी । प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0426 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा 65726/– अक्षरे पेसठ हजार सात सो छब्बीस रूपये तहसीलदार अराई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार अराई को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात उनकी रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/2025/4869 दिनांक 13.8.2025 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.7198 हैक्टेयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22/08/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)